प्रेसविज्ञप्ति

दिनांकः– 28.10.2024

दिनांक 29.10.2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जायेगा। इस दौरान यातायात की विशेष व्यवस्था को मध्य नजर रखते हुए शहर के भीतरी क्षेत्र में मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक पूर्णतय प्रतिबंधित रहेगा। तीन पहिया वाहन तथा चार पहिया वाहनों समेत ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी इत्यादि भी प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाने दी जावेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में आडा बाजार, सर्राफा बाजार, सिटी पुलिस, माणक चौक, कन्दोई बाजार, कदूस होटल, घंटाघर, बाटा तिराया, जवाहर खाना मोड़ से कदूस की होटल ओर बाटा तिराया से गोंरूदा बावडी, मोती चौक, त्रिपोलिया बाजार होते हुए कन्दोई बाजार तक तथा आडा बाजार, दूध का चौहटा, भोली बाई मदिंर, जालप मौहल्ला से बालवाडी तक मुख्य व्यापारिक मार्ग पर केवल पैदल आने जाने वालों लोगों को ही अनुमति होगी। समस्त वाहन चालक जो इस प्रतिबंधित मुख्य मार्ग क्षेत्र में किसी कार्यवश आना चाहते है, वो अपने वाहन कृपया निर्धारित पार्किग स्थानों पर ही पार्क करें।

नई सड़क से घंटाघर पुलिस चौकी तक मुख्य सड़क के दोनों ओर केवल दो पहिया वाहन पार्क हो सकेगें। समस्त प्रकार के तीन पहिया व चार पहिया वाहन राजकीय उम्मेद स्टेडियम के सामने पार्क किए जावें। इसी प्रकार सरदारपुरा बी रोड, गोल बिल्डिंग चौराहा से चिल्ड्रन पार्क तक समस्त प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंधित रहेगा। वाहन गांधी मैदान पार्किग में ही पार्क करेंगे।

(दुर्गाराम चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात आयुक्तालय जोधपुर